...गी क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधकारी,राजमहल।

आर0ई0 वाद सं0– 10/2018–19

प्रथम पक्ष– अरूण रजक

बनाम

सुधीर रजक

आदेश

27.9.19

आवेदक अरूण रजक, पिता– रमेश रजक, सा0– लबदा, थाना– बरहरवा, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षी के द्वारा अवैध दखल की गई जमीन से आवेदक विपक्षी को उच्छेद कराना चाहते हैं। आवेदक के आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर विपक्षी को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, बरहरवा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि का विवरण :–

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा
छोटा गढ़ग्राम	01	121 एवं 122	04 कट्ठा

आज उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा– छोटा गढ़ग्राम के जमाबंदी नं0– 01, दाग नं0– 121 एवं 122 की जमीन अकलू धोबी के नाम से पर्चा में दर्ज है, जो आवेदक के छरदादा है। आवेदक के छरदादा अकलू धोबी का वंशावली निम्न प्रकार है:–

अकलू धोबा (आर0टी0) पिता– दूर्गाराम धोबा

चंदन धोबा   बैजनाथ धोबा

नितार्इ रजक   गौर रजक   भागीरथ रजक   चारू देवी

दीपनारायण रजक   सरस्वती देवी   बेलन देवी   फैलिया देवी   फेकनी देवी

कंचन देवी   तिलकी देवी   मालती देवी

रमेश रजक   उमेश रजक   रघु रजक   कैलाश देवी   सुन्दरी देवी

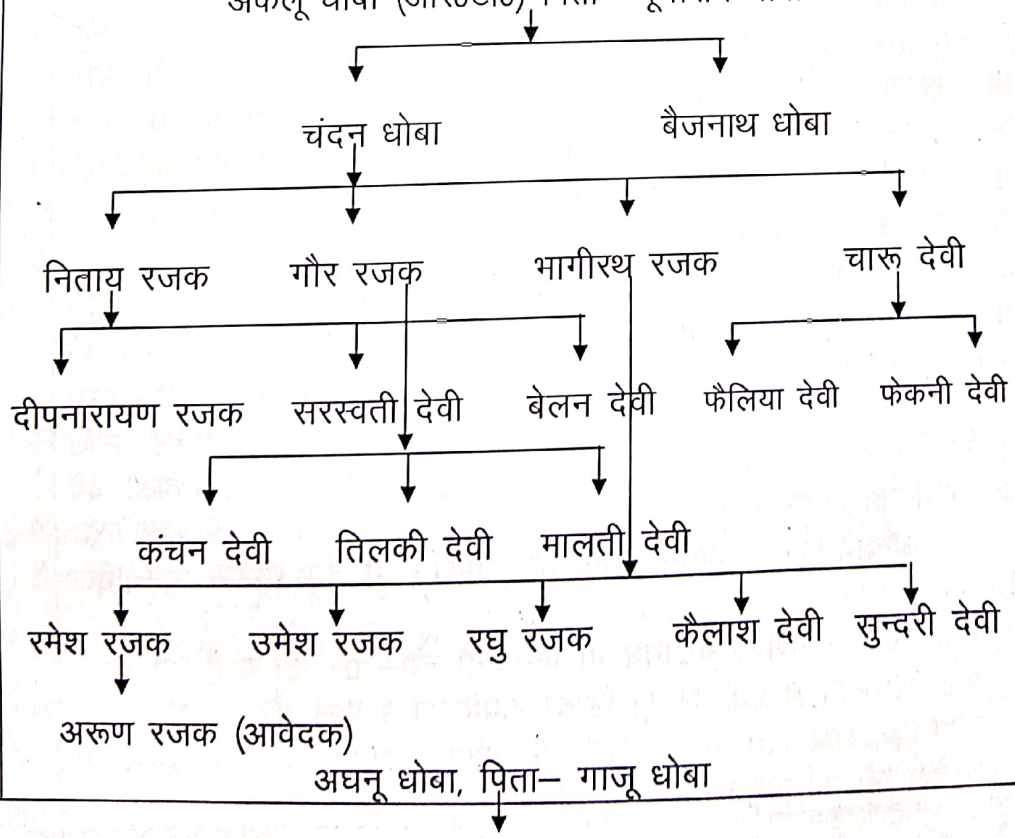

अरूण रजक (आवेदक)

अघनू धोबा, पिता– गाजू धोबा

Scanned with CamScanner

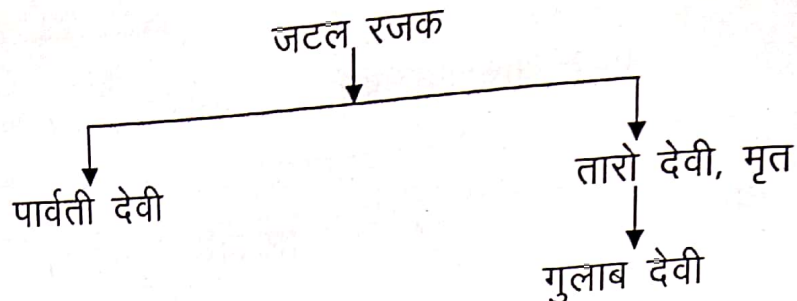

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त विवादित जमीन विपक्षी ने गलत व गैरकानूनी रूप से असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर पक्का–टाली का दो कमरा बनवाकर हड़प लिया है तथा कुछ जमीन को घेर कर अनाधिकृत रूप से हड़प लिये हैं। आवेदक ने दिनांक 21.05.2018 को समय करीब 10 बजे दिन में विपक्षी को उक्त विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहे तो विपक्षी ने हटाने से साफ इंकार कर दिये और गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी दिये।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने उक्त विवादित भूमि से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(5) के तहत् उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने पक्ष में कारण पृच्छा/लिखित बयान आज तक दाखिल नहीं किये हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मौजा छोटा गढग्राम के जमाबंदी नं0– 01, दाग नं0– 121 एवं 122 का सम्पूर्ण रकवा 04 कट्ठा 17 धूर एवं 06 कट्ठा 13 धूर जमीन पुश्तैनी एवं संयुक्त सम्पत्ति है, जिसमे विपक्षी का भी हक एवं हिस्सा है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1406/रा0, दिनांक 26.10.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि मौजा छोटा गढ़ग्राम थाना सं0 38 के खाता सं0 01 दाग नं0– 121 एवं 122 रकवा क्रमशः 04 कट्ठा 17 धूर एवं 06 कट्ठा 13 धूर कुर रकवा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन खतियान में अकलू धोबा, पिता– दुर्गाराम धोबा, अधनू धोबा, पिता– स्व0 गाजू धोबा, सा0– नीजग्राम के नाम से है तथा पंजी II में अकलू धोबा का नाम अंकित है। आवेदक अकलू धोबा के छरपोता है। न्यायालय अंतर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल में क्रि0मि0 वाद सं0 461/17 द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन आवेदक अरूण रजक वगैरह के पक्ष में आदेश पारित हुआ तथा विपक्षी सुधीर रजक वगैरह के विरूद्ध में हुआ। विवाद उपरांत वर्णित जमीन से संबंधित कागजात की मांग की गयी लेकिन अपने पक्ष का कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत किय। विपक्षी सुधीर रजक ने आवेदक की जमीन दाग नं0– 121 एवं 122 रकवा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन में घर बनाकर अवैध तरीके से निवास कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, राजमहल द्वारा विपक्षी को उच्छेद करने की अनुशंसा किये हैं।

आवेदिका ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किये हैं।

1. मौजा लवदा (छोटा गढ़ग्राम के जमाबंदी नं0– 01 का पर्चा की छाया प्रति 10 पन्ने में एवं उसका हिन्दी रूपांतरण 3 पन्ने में।
2. सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के आपत्ति वाद सं0 352/2018 में आदेश की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

Scanned with CamScanner

3. अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद सं0 461/2017 दं0प्र0सं0 की धारा 144 में मूल आवेदन एवं अंतिम आदेश की सत्यापित छाया प्रति।
4. मौजा छोटा गढ़ग्राम खाता सं0 01 का लगान रसीद एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के ज्ञापांक 66/रा0, दिनांक 18.01.2018 की छाया प्रति।

विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये हैं:–

1. विपक्षी सुधीर रजक के द्वारा अंचल अधिकारी, बरहरवा को वंशावली प्रमाण–पत्र लेने के संबंध में दिये गये आवेदन पत्र की छाया प्रति।
2. मतदाता सूची की छाया प्रति।
3. अकलू धोबा एवं अगनू धोबा के नाम से मौजा छोटा गढ़ग्राम जमाबंदी नं0– 01 का गेंजर पर्चा की छाया प्रति।
4. मौजा छोटा गढ़ग्राम का अकलू धोबा के नाम से निर्गत लगान रसीद की छाया प्रति।
5. दिनांक 02.07.2017 को पंचायत की गई पंचायती की छाया प्रति।
6. क्रिमिनल रिभीजन सं0 12/18 सुधीर रजक–बनाम–झारखंड सरकार में दिनांक 09.02.2018 से 07.08.2018 तक आ आदेश फलक की सत्यापित छाया प्रति।
7. Org. Suit नं0 80/18 सुधीर रजक–बनाम–दीपनारायण रजक एवं अन्य में सिविल जज प्रथम, राजमहल के द्वारा दिनांक 13.08.2018 से 31.08.2018 का आदेश फलक एवं आरोप पत्र की छाया प्रति।
8. सुधीर रजक पिता स्व0 गणेश रजक के नाम आधार कार्ड की छाया प्रति।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष विवादित भूमि से संबंधित कागजात दाखिल किये हैं एवं दावा करते है। लेकिन अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 1406/रा0, दिनांक 26.10.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि विपक्षी श्री सुधीर रजक ने आवेदक की जमीन दाग नं0– 121 एवं 122 रकवा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन में घर बनाकर अवैध तरीके से निवास कर रहे हैं। दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष वंशावली एवं उत्तराधिकारी के आधार पर विवादित भूमि पर दावा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह विवाद उत्तराधिकार से संबंधित है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत इस वाद को बिना गुण दोष के समाप्त (Drop) किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी कोटालपोखर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Scanned with CamScanner